लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1684

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

1684. श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से, रेशम उत्पादन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में रेशम उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित रेशम समग्र-2 जैसी योजनाओं को लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेशम समग्र और रेशम समग्र-2 जैसी रेशम उत्पादन संबंधी योजनाओं के तहत तमिलनाडु राज्य को आवंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु के शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत रेशम उत्पादन और इससे संबंधित उद्योगों के विकास और संवर्धन की संभावनाओं का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारत सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से, तमिलनाडु सहित देश में रेशम उत्पादन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सिल्क समग्र-2 योजना का क्रियान्वयन कर रही है। पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय सहायता के रूप में 126.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग): तमिलनाडु मलबरी रेशम का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख पारंपरिक राज्य है और देश में बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राज्य के कई जिलों में लगभग 28,000 किसान परिवार रेशम उत्पादन करते हैं। राज्य में कई सिल्क रीलिंग और बुनाई क्लस्टर हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से सिल्क समग्र-2 योजना के तहत राज्य में 18 ऑटोमैटिक रीलिंग मशीन (ARM) यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता दी है।

***